Court No. - 81

Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 127 of 2002

Applicant :- Amrit Lal And Another
Opposite Party :- State of U.P. and Another
Counsel for Applicant :- Sarvesh,Bharat Singh
Counsel for Opposite Party :- Govt. Advocate,Sudhir Kumar

Hon'ble Umesh Chandra Sharma,J.

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सर्वेश एवं राज्य की तरफ से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

2. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने पत्रावली के अभाव के आधार पर समय की माँग किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रथमतः विवेचक ने झूठा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना पाते हुए अंतिम आख्या तैयार की थी तथा धारा 182 भा०दं०सं० की रिपोर्ट पृथक रूप से प्रस्तुत करने का उल्लेख किया था कि तभी उक्त अंतिम आख्या के न्यायालय पहुँचने के पूर्व विवेचना अंतरित कर दी गई तथा दूसरे विवेचक द्वारा धारा 364-ए भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोपपत्र प्रस्तुत कर दिया गया।

4. यह मामला थाना बिल्सी, जिला बदायूं का है। उपरोक्त दशाओं में राज्य को भी सुना जाना आवश्यक पाया जाता है, अतएव विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता पुलिस अधीक्षक, बदायूं के माध्यम से इसमें आख्या प्राप्त करें तथा वादी की तरफ से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को अभिलेख उपलब्ध कराये जाएं।

5. वास्ते निस्तारण इस वाद को दिनांक **23.08.2023** को अतिरिक्त वाद सूची में सूचीबद्ध किया जाए।

Order Date :- 3.8.2023
Pawan Kumar

Digitally signed by :-
PAWAN KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad